



झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आच्छादन हेतु
स्वघोषणा-पत्र-सह-परिवारिक विवरणी

मैं

पिता/पति-.....

पता :

श्रेणी-सामान्य/पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/PVTG,

आयु : पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ घोषणा करता/करती हूँ कि निम्नवर्णित समावेशन

मानक (Inclusion Criteria) के आधार पर मैं एक सुपात्र आवेदक हूँ (प्रासंगिक कोष्ठक में ✓ लगाएँ) -

- (1) मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्त नहीं हूँ, अथवा
- (2) मैं विधवा/परित्यक्ता/Transgender हूँ तथा भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्त नहीं हूँ, अथवा
- (3) मैं 40 प्रतिशत या इससे अधिक की विकलांगता वाला निःशक्त हूँ तथा भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्त नहीं हूँ, अथवा
- (4) मैं आदिम जनजाति (PVTG- Particularly Vulnerable Tribal Group) का सदस्य हूँ तथा भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित नहीं हूँ, अथवा
- (5) सिविल सर्जन से अन्यून पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र के अनुसार मैं कैंसर/एड्स/कुष्ठ/अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति हूँ तथा भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्त नहीं हूँ, अथवा
- (6) मैं अकेला रहने वाला वृद्ध/बुजुर्ग व्यक्ति/एकल परिवार हूँ, जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्वद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित नहीं हूँ, अथवा
- (7) मैं भिखारी/गृहविहीन व्यक्ति हूँ अथवा
- (8) मैं कूड़ा चुनने वाला (Rag Picker)/झाड़ूकश (Sweeper) हूँ अथवा
- (9) मैं निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक (Construction Worker)/राजमिस्त्री (Mason)/अकुशल श्रमिक (Unskilled Labour)/घरेलू श्रमिक (Domestic Worker)/कुली एवं सिर पर बोझ उठाने वाले अन्य श्रमिक (Coolie and other head load worker)/रिक्शाचालक (Rickshaw Puller)/ठेला चालक (Thela/ Hand Cart Puller) हूँ अथवा
- (10) मैं फुटपाथी दुकानदार (Street Vendor)/फेरीवाला (Hawker)/छोटे स्थापना के अनुसूचक (Peon in Small Establishment)/सुरक्षा प्रहरी (Security Guard)/पेन्टर (Painter)/वेल्डर (Welder)/बिजली मिस्त्री (Electrician)/मैकेनिक (Mechanic)/दर्जी (Tailor)/नलसाज (Plumber)/माली (Mali)/धोबी (Washerman)/मोची (Cobbler) हूँ।

उपर्युक्त क्रम में निम्नवर्णित अपवर्जन मानक (Exclusion Criteria) के आधार पर पूर्ण सत्यनिष्ठान के साथ घोषण करता/करती हूँ कि -

- (11) मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य, भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकास जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पषर्द/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित नहीं है,
- (12) मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य, आयकर/सेवा कर/व्यावसायिक कर/GST नहीं देता है,
- (13) मेरे या मेरे परिवार के पास पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से असिंचित भूमि नहीं है,
- (14) मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन (Four Wheeler Vehicle) अथवा इससे अधिक पहिया के वाहन नहीं हैं,
- (15) मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक नहीं हूँ,
- (16) मेरे या मेरे परिवार के पास पक्की दीवारों तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का पक्का मकान नहीं है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना से अनाच्छादित है,
- (17) मेरे या मेरे परिवार के पास 5 लाख या इससे अधिक लागत का मशीन चालित चार पहिए वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर, थ्रेसर इत्यादि) नहीं है।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है तथा मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त सभी तथ्य तथा संलग्न परिवार की सूची मेरे ज्ञान पर आधारित है व सत्य है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

यदि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त तथ्य गलत/मिथ्या पाये जाते हैं तो इसके लिये कानूनी तौर पर मैं खुद जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

साथ ही, मैं सरकार से अनुचित रूप से ली गई सहायता (खाद्यान्न इत्यादि) का बाजार मूल्य व इस पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये जुर्माने/ब्याज सहित राशि वापस लौटाने का उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

भविष्य में यदि मैं या मेरा परिवार, निर्धारित मापदण्डों की सीमा से बाहर हो जाते हैं तो मैं इसकी सूचना ग्राम पंचायत/शहरी निकाय को दूँगा/दूँगी व इस योजना के अन्तर्गत आगे लाभ नहीं लूँगा/लूँगी।

स्थान :

हस्ताक्षर :

दिनांक :

नाम :

पारिवारिक विवरणी

पता

ग्राम :
 वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र के लिए) :
 पंचायत :
 प्रखण्ड :
 जिला :
 ज०वि०प्र० दुकान का नाम :

प्राथमिकता सूची हेतु अधिमानता मानक
 (प्रासंगिक कोष्ठक में ✓ लगाएं)

आदिम जनजाति परिवार (PVTG)
 विधवा/परित्यक्ता/Transgender
 निःशक्त (40 प्रतिशत या इससे अधिक)
 कैंसर/एड्स/कुष्ठ/अन्य असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति
 अकेले रहने वाले वृद्ध/बुजुर्ग व्यक्ति/एकल परिवार
 अनुसूचित जनजाति
 अनुसूचित जाति
 अन्यान्य

बैंक खाता विवरणी

आवेदक मुखिया का नाम :
 बैंक का नाम :
 बैंक शाखा का नाम :
 बैंक खाता संख्या :
 * आवेदन के साथ आवश्यक कागजात यथा-आधार कार्ड, बैंक खाता विवरणी तथा प्राथमिकता सूची में स्थान पाने हेतु अधिमानता मानक के लिए जाति प्रमाण-पत्र/निःशक्ता प्रमाण-पत्र/असाध्य रोग से संबंधित प्रमाण-पत्र इत्यादि संलग्न करना अनिवार्य है।

क्र० सं०	आवेदक मुखिया/सदस्य (नाम)	लिंग (M/F/Other)	पिता/पति	जन्म तिथि	मुखिया से रिश्ता	आधार संख्या	मोबाईल नम्बर
A	B	C	D	E	F	G	H
1					स्वयं		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

आवेदक के द्वारा समर्पित आवेदन में वर्णित तथ्यों के जाँचोपरान्त मैंने सही पाया/निम्नवर्णित कारण से सही नहीं पाया -

आवेदक समावेशन मानक (कडिका संख्या)..... के आधार पर सुपात्र नहीं है।
 आवेदक अपवर्जन मानक (कडिका संख्या)..... के आधार पर सुपात्र नहीं है।

मेरे आवेदन में वर्णित उपर्युक्त विवरणी की मैंने स्वयं जाँच की है तथा इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है।

आवेदक मुखिया का हस्ताक्षर

सत्यापनकर्ता का हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम